

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2789]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937

No. 2789]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2015

सं. 147/2015-सीमाशुल्क (नै.टै.)

का.आ. 3510(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 61 की उपधारा (2) के खंड (ii) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा वस्तुओं की श्रेणी अर्थात् आयात किया गया और भूतल के नीचे की चट्टानों की कंदराओं में जमा कच्चे तेल को विनिर्दिष्ट करती है जिसके संबंध में उपर्युक्त धारा 61 के अंतर्गत कोई ब्याज प्रभार्य नहीं होगा।

[फा. सं. 473/07/2015-एलसी]

तेमसुनारो जमीर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS]

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2015

No. 147/2015-Customs (N.T.)

S. O. 3510(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to clause (ii) of sub-section (2) of section 61 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, being satisfied that it is necessary so to do in the public interest, hereby specifies the class of goods, namely 'crude', imported and stored in underground rock caverns, in respect of which no interest shall be charged under the said section 61.

[F. No. 473/07/2015-LC]

TEMSUNARO JAMIR, Under Secy.